संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / यां.प्र. / 07 / 2012/4571 भोपाल, दिनांक 22/9/12

प्रति,

आयुक्त,
नगर निगम......................
जिला ....

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका / नगर परिषद् ....
जिला ....

विषय :– मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के क्रियान्वयन प्रक्रिया के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई है। जिसकी प्रति संलग्न होकर आपके निकाय में प्रचलित योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियंता 20-9-12
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांक या.प्र. / 07 / 2011 / 4572 भोपाल, दिनांक 22/9/12

प्रतिलिपि :–

1. उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास .... संभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास .... संभाग की ओर सूचनार्थ।

मुख्य अभियंता 20-9-12
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 10–8/2012/18–2 भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2012

प्रति,

1. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.,
भोपाल।

2. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश।

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना।

—0—

मध्यप्रदेश में शहरीकरण तथा शहरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरी अधोसंरचना की आवश्यकता दिनो दिन बढ़ती जा रही है, प्रदेश भर में अधोसंरचना की पूर्ति प्रमुख चुनौती है। नगरों के सुनियोजित विकास तथा अधोसंरचना के आकलन हेतु प्रदेश के सभी नगरों की नगर विकास योजनाएं तैयार की जा रही है। बड़े शहरों जैसे भोपाल, इन्दौर, उज्जैन एवं जबलपुर की नगर विकास योजना पूर्व से ही तैयार कर ली गई है। 96 नगरपालिका एवं शेष 10 नगर निगमों की भी CDP तैयार हो गई है। नगर परिषदो की भी CDP आगामी वर्ष 2012–13 के अन्त तक पूर्ण कर ली जाएगी।

2/. नगरीय निकायों के दायित्वों को ध्यान में रखते हुये सभी निकायों में अधोसंरचनाओं का विकास निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक हो गया है। इसी बात को ध्यान मे रखकर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना निम्नानुसार लागू की जावे :–

योजना :–

योजना के अंतर्गत CDP में तय की गई प्राथमिकता के आधार पर निकाय द्वार विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कराये जायेंगे। इस तैयार DPR का परीक्षण अधिनियम एवं नियम प्रावधानित प्रकिया में करांया जाकर तदनुसार सक्षम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। योजना स्वीकृत

12/9/12

करने का आधार निम्नानुसार होगा :–

(अ) प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर विस्तृत परियोजनाएँ तैयार की जायेंगी।

(ब) **योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य –**

सड़क एवं शहरी यातायात, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास, उद्यान, धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन संबंधित नवीन योजनाए.

(स) जिंन निकायों को इस योजनांतर्गत राशि प्रदान की जाएगी, उन्हें चरणबद्ध, समयबद्ध तरीके से नगरीय सुधार कार्यक्रम कियान्वित करना होगा। इस हेतु उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से अनुबंध करना होगा। नगरों के लिये प्राथमिकता का आधार जिला मुख्यालय धार्मिक/पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख शहर एवं अन्य नगर होगें, साथ ही शहरी सुधार कार्यक्रम भी प्राथमिकता का आधार होगा ।

<u>वित्तीय ढॉचा :–</u>

योजना के अंतर्गत वित्तीय ढॉचा निम्नानुसार होगा :–

श्रेणी	अनुदान	ऋण	ऋण का पुर्नभुगतान	
	राज्यांश	निकाय	राज्य शासन द्वारा	निकाय द्वारा
नगर निगम	30 %	70 %	75 %	25 %
नगर पालिका	30 %	70 %	75 %	25 %
नगर परिषद्	30 %	70 %	75 %	25 %

<u>अनुदान :–</u>

(अ) राज्य शासन द्वारा इन योजनाओं के लिये प्रत्येक वर्ष निम्नानुसार अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जायेगी :–

क्र.	श्रेणी		निकाय संख्या	अधिकतम अनुदान राशि की पात्रता
1	नगर निगम	I	भोपाल एवं इन्दौर (जनसंख्या – 15 लाख से अधिक)	20 करोड़ प्रतिवर्ष
2		II	जबलपुर एवं ग्वालियर (जनसंख्या – 8 से 15 लाख के बीच)	10 करोड़ प्रतिवर्ष
3		III	शेष 10 नगर निगम देवास, उज्जैन, खण्डवा, रतलाम, बुरहानपुर, कटनी, सागर, रीवा, सिंगरौली एवं सतना (जनसंख्या 1 से 8 लाख की बीच)	3 करोड़ प्रतिवर्ष
4	नगर पालिका	I	जनसंख्या 1 लाख से अधिक तथा जिला मुख्यालय के नगर	2 करोड़ प्रतिवर्ष
5		II	जनसंख्या 1 लाख से कम	1 करोड़ प्रतिवर्ष
6	नगर परिषद्		263	1 करोड़ प्रतिवर्ष

(ब) राज्य शासन द्वारा ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन, पुरातत्व, औद्योगिक एंव अन्य आधार पर कमांक 3, 4, 5 तथा 6 के किसी भी नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर परिषद को अधिकतम अनुदान 5 करोड तक किसी वर्ष में प्रदान कर सकेगी ।

(स) ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन तथा औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर, जहां विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, में विकास के लिए प्राधिकरण के माध्यम से विकास परियोजना प्राप्त होने पर शासन द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिया जा सकेगा ।

<u>ऋण की व्यवस्था :--</u>

राशि अनुदान के रूप में देने के लिये योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार अनुदान राशि रूपये 428 करोड़ के लिये कुल राशि रूपये 1428 करोड़ लागत की परियोजनाएँ उपरोक्त वर्णित श्रेणी के शहरों में आरंभ की जा सकेंगी। जिसके लिये हुडको से राशि रूपये 1000 करोड़ का ऋण नगरीय निकायों द्वारा लिया जावेगा तथा शासन की ओर से ऋण हेतु प्रत्याभूति दी जाएगी। हुडको की ब्याज दर 11.25 प्रतिशत है । ऋण (मूलधन + ब्याज) राशि का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान कुल 15 वर्षो में नगरीय निकाय द्वारा 25 प्रतिशत तथा राज्य शासन द्वारा 75 प्रतिशत किया जायेगा।

यदि कोई निकाय उपरोक्त योजना के अनुसार नगरीय सुधार कार्यक्रम का कियान्वयन नही करती है तो राज्य शासन द्वारा देय ऋण एवं ब्याज में कमी की जा सकेगी। परन्तु ऐसी परिस्थिति में भी राज्य शासन द्वारा देय ऋण तथा ब्याज का प्रतिशत कुल देय ब्याज तथा ऋण राशि के 65 प्रतिशत से कम नही होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के.कातिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. कमांक एफ 10–8/2012/18–2 भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. परियोजना संचालक, परियोजना उदय, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
6. समस्त महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद।
7. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
8. सभागीय अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
9. ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के डायरेक्टर द्वारा नामांकित तकनीकी अधिकारी।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

कमांक एफ 10–8/2012/18–2 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रति,

1. आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.,
भोपाल।

2. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश।

3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश।

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में।
संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 12 सितम्बर, 2012

—0—

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(1) नगरपालिक निगम की स्थिति में –

निर्माण कार्यो का कियान्वयन, नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 तथा मेयर इन काउंसिल/प्रेसीडेंट इन कांउसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 .के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है। उपरोक्त योजनाओं हेतु संपूर्ण तकनीकी/प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियां एम.आई.सी में निहित होंगी।

(2) नगरपालिका/नगर परिषद की स्थिति में –

(i) मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम 1971 के छटवे अध्याय "लोक निर्माण" सभी निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रणाली का प्रावधान नियम 130 में वर्णित है।

(ii) मध्यप्रदेश लेखा नियम 1971 के नियम–129 में कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने का प्रावधान है। जिसके अनुसार निकाय द्वारा योजना तैयार कराई जाएगी।

(iii) प्रशासकीय अनुमोदन मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के अनुसार किया जाएगा।

(iv) योजना के सुचारू कियान्वयन हेतु शासन अनुदान से कियान्वित की जाने वाली वृहद स्तर की योजनाओं के संबंध में समस्त कार्यवाही PIC द्वारा की जाएगी।

(3) निविदाएं आमंत्रित करना –

मध्यप्रदेश लेखा नियम 1971 के नियम 139 में निविदा मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्दारा जारी की जायेगी। उपरोक्त नियम 139 (4) के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा निविदा प्राप्त की जाएगी एवं निविदाएं खोली जाएगी :–

(i) ई–टेण्डरिंग के माध्यम से टेण्डरिंग की कार्यवाही की जाएगी।

(ii) ई–टेण्डरिंग करने हेतु आई.टी.विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों के साथ संबंधित नगरीय निकायों को अनुबंध करना होगा।

(iii) प्राप्त निविदाएँ खोलने के उपरांत मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा निविदाएँ अपने अभिमत के साथ मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(4) योजना के कियान्वयन की प्रकिया –

(i) योजना नगरीय निकाय व्दारा तैयार की जाएगी ।

(ii) योजना की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति कमशः आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास व्दारा दी जाएगी।

(iii) निविदा आमंत्रण मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से की जाएगी। उनके व्दारा निविदाएं खोली जाएंगी निविदा अपनी अनुशंसा के साथ संचालनालय में गठित तकनीकी समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाएगी । *(राज्य स्तरीय तकनीकी समिति एवं कार्यक्षेत्र की जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर है।)*

(iv) मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति तकनीकी परीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ प्रकरण नगरीय निकाय को प्रेषित करेगी ।

(v) नगरीय निकाय की पी.आई.सी. अपनी अनुशंसा के साथ प्रकरण वित्तीय स्वीकृति हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित करेगी ।

(vi) आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास अपनी वित्तीय स्वीकृति की अधिकारिता तक की निविदाएं स्वीकृत करेंगे। अधिकारिता से अधिक की योजना अपनी अनुशंसा के साथ राज्य शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

(vii) वित्तीय स्वीकृति उपरान्त नगरीय निकाय अनुबंध निष्पादित कर कार्यादेश जारी करेंगी।

(viii) योजना का कियान्वयन नगरीय निकाय व्दारा किया जावेगा ।

(ix) योजना के मॉनिटरिंग एवं समन्वय हेतु संभागीय मुख्यालयों के नगर निगमों में आयुक्त, राजस्व संभाग तथा शेष निकायों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति गठित की जाएगी। *(समिति के स्वरूप की जानकारी परिशिष्ट 'ब' पर है।)*

5. गुणवत्ता नियंत्रण/तकनीकी सलाह एवं मार्गदर्शन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाएगी : –

(i) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संभागीय कार्यालयों में सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सलटेंट रखे जाएंगे। इनका चयन आवश्यकता अनुसार संभागीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) संचालनालय स्तर पर राज्य के सभी शहरों के लिए थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन की व्यवस्था की जाएगी। इसका चयन संचालनालय द्वारा किया जाएगा।

(iii) नगरों की डी.पी.आर. संचालनालय द्वारा निविदा बुलाकर तैयार किये गये पैनल के कंसल्टेंट के माध्यम से तैयार कराई जाएगी। नगरीय निकायों द्वारा पैनल में सूचीबद्ध में से मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसीडेंट–इन –काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य) नियम 1998 के अन्तर्गत निविदा बुलाकर कंसल्टेंट फर्म को चयनित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

13/9/12

(के.के.कातिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठां. कमांक एफ 10–8/2012/18–2 भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. परियोजना संचालक, परियोजना उदय, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
4. समस्त महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद।
5. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
6. सभागीय अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
7. ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के डायरेक्टर द्वारा नामांकित तकनीकी अधिकारी।
8. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

13/9/12

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट–'अ'

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति :–

1.	मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल	अध्यक्ष
2.	ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर व्दारा नामांकित तकनीकी अधिकारी	सदस्य
3.	संबंधित संस्था क्षेत्र के संभागीय अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
4.	संबंधित संस्था के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
5.	कार्यपालन यंत्री (तकनीकी) संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल	सदस्य सचिव

तकनीकी समिति का कार्यक्षेत्र –

(1) निविदा आमंत्रण की सूचना प्रपत्र का अनुमोदन,

(2) विभिन्न पैकेज के विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट डिजाईन, प्राक्कलन का तकनीकी मूल्यांकन/निष्पादन

(3) निविदा अभिलेखों का अनुमोदन/निष्पादन

(4) योजना कियान्वयन के दौरान उठने वाले विभिन्न प्रकरण जैसे–ठेका अनुबंध में समय वृद्धि, कार्य में फेरबदल, कार्य की मात्रा में बढ़ोत्तरी/कमी, दावों आदि के संबंध में निर्णय ।

(5) निविदा दरों का परीक्षण का कार्य ।

(6) योजना कियान्वयन से संबंधित तकनीकी एवं अन्य कोई मुद्दें जो समिति को संदर्भित किए जावे ।

(7) योजना की तकनीकी स्वीकृति की शर्तो की पूर्ति कराने का उत्तरदायित्व

(8) योजनाओं के परीक्षण एवं सुधार कराने का उत्तरदायित्व ।

74

परिशिष्ट–'ब'

योजना के मॉनिटरिंग एवं समन्वय हेतु संभागीय मुख्यालयों के नगर निगमों में संभागायुक्त की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :–

1	संभागायुक्त	–	अध्यक्ष
2	महापौर/अध्यक्ष, संबंधित नगरीय निकाय	–	सदस्य
3	संबंधित निकाय के आयुक्त	–	संयोजक
4	कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास,	–	सदस्य
5	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,	–	सदस्य
6	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग।	–	सदस्य
7	संभागायुक्त व्दारा आमंत्रित विशेष सदस्य ।	–	सदस्य

योजना के मॉनिटरिंग एवं समन्वय हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :–

1	जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2	महापौर/अध्यक्ष, संबंधित नगरीय निकाय	–	सदस्य
3	संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी	–	संयोजक
4	कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास,	–	सदस्य
5	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,	–	सदस्य
6	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग।	–	सदस्य
7	कलेक्टर व्दारा आमंत्रित विशेष सदस्य ।	–	सदस्य

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

कमांक एफ 10–8/2012/18–2 :: मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के पर्यवेक्षण एवं समन्वय के लिए संभागीय मुख्यालय के नगर निगमों हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :–

1	संभागायुक्त	—	अध्यक्ष
2	महापौर/संबंधित नगरीय निकाय	—	सदस्य
3	संबंधित निकाय के आयुक्त	—	संयोजक
4	कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास,	—	सदस्य
5	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,	—	सदस्य
6	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग।	—	सदस्य
7	संभागायुक्त व्दारा आमंत्रित विशेष सदस्य ।	—	सदस्य

2– उक्त समिति योजनाओं के निश्चित समय–सीमा में कियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी । अतः समिति द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु गतिविधिवार कैलेण्डर बनाया जाए तथा समय–सीमा में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कैलेण्डर के अनुसार सुनिश्चित की जाए । समिति को योजनाओं के कियान्वयन कराने हेतु समस्त कार्यवाही करने के अधिकार होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.कातिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठां. कमांक एफ 10–8/2012/18–2

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि :–

(1) समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
(2) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
(3) मुख्य अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
(4) महापौर/आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा।
(5) संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
(7) समस्त संभागीय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
(8) समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग